पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय

मांग संख्या 91

पर्यटन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		112.50	32.21	144.71	112.50	63.63	176.13	119.50	41.30	160.80
पूंजी		*112.50*	...	*112.50*	*112.50*	...	*112.50*	*205.50*	...	*205.50*
जोड़		**225.00**	**32.21**	**257.21**	**225.00**	**63.63**	**288.63**	**325.00**	**41.30**	**366.30**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.96	0.96	...	0.97	0.97	...	0.98	0.98
पर्यटन										
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	...	29.73	29.73	...	27.54	27.54	...	28.37	28.37
3. पर्यटक सूचना और प्रचार										
3.01 देशीय अभियान	3452	14.50	0.20	14.70	14.50	0.20	14.70	12.00	0.20	12.20
3.02 समुद्रपारीय अभियान	3452	51.00	...	51.00	51.00	...	51.00	56.00	...	56.00
	जोड़	*65.50*	*0.20*	*65.70*	*65.50*	*0.20*	*65.70*	*68.00*	*0.20*	*68.20*
4. पर्यटक आधारभूत ढांचा	3452	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
	5452	95.00	...	95.00	95.00	...	95.00	183.00	...	183.00
	जोड़	*99.00*	...	*99.00*	*99.00*	...	*99.00*	*183.00*	...	*183.00*
5. प्रशिक्षण	3452	16.50	0.75	17.25	16.50	0.67	17.17	19.50	0.60	20.10
	7452	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*16.50*	*0.75*	*17.25*	*16.50*	*0.67*	*17.17*	*19.50*	*0.60*	*20.10*
6. अन्य व्यय	3452	21.50	0.57	22.07	21.50	34.24	55.74	22.00	10.65	32.65
	5452	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*21.50*	*0.57*	*22.07*	*21.50*	*34.24*	*55.74*	*22.00*	*10.65*	*32.65*
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
	4552	17.50	...	17.50	17.50	...	17.50	22.50	...	22.50
8. विविध सामान्य सेवाएं- विनिमय द्वारा हानि	2075	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.50	0.50
जोड़-पर्यटन		**225.00**	**31.25**	**256.25**	**225.00**	**62.66**	**287.66**	**325.00**	**40.32**	**365.32**
कुल जोड़		***225.00***	***32.21***	***257.21***	***225.00***	***63.63***	***288.63***	***325.00***	***41.30***	***366.30***
ख. आयोजना परिव्यय*:-	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
सामान्य आर्थिक सेवाएं - पर्यटन	13452	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	325.00	...	325.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएंः** इसमें पर्यटन विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **निदेशन एवं प्रशासनः** यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों के व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी जानकारी देना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबद्ध विभिन्न खंडों जैसे होटलों, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों आदि का विनियमन करना है।

3. **पर्यटन सूचना एवं प्रसारः** भारत में तथा विदेश में स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के एक नेटवर्क के माध्यम से संवर्धन और विपणन कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2000-01 से नियमित संवर्धनात्मक गतिविधियों, प्रचार सामग्री का निर्माण, मीडिया और जन संपर्क, विपणन विकास सहायता स्कीम सहित आतिथ्य और विशेष अभियान को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अधीन जिसे वर्तमान में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, पर्यटन क्षेत्र में जोखिम धारक तथा स्टार ट्रेडिंग हाउस भी विपणन विकास हेतु सहयोग लेने के लिए पात्र हैं। इसे पर्यटन को "एक्सपोर्ट हाउस" का दर्जा देने के बाद, पर्यटन उद्यमों के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत इलैक्ट्रॉनिक तथा इंटरनेट अभियान का काम भी देखा जा रहा है।

4. **पर्यटक अवसंरचनाः** इस व्यवस्था का संबंध ढांचागत सुविधाओं जैसे पर्यटक बंगलों, यात्री निवासों, वन लॉजों, मार्ग सुविधाओं, समुद्र किनारे सैरगाहों के निर्माण, देशांतर गमन (ट्रैकिंग) पर्वतारोहण, शरदकालीन खेलों/जलक्रीड़ाओं के उपस्करों की अधिप्राप्ति, गोल्फ कोर्सों/स्मारकों की पुनः साफ-सफाई, पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास, पर्यटन रूचि के स्थलों पर ग्रामीण एवं पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए उत्पाद/आधारभूत ढांचे तथा लक्ष्य विकास आदि के निर्माण कार्य पर व्यय से है।

5. **प्रशिक्षणः** देश में पर्यटन विकास के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति एक अनिवार्य कारक है। वर्तमान में होटल प्रबंधन के 21 संस्थान तथा 13 खाद्य शिल्प संस्थान हैं। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) पर्यटन हेतु जनशक्ति विकास में संलिप्त अन्य निकाय हैं। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र जिसमें पर्यटन रूचि स्थलों, एअर पोर्टों आदि पर स्थित लघु होटल, ढाबे, रेस्तरां तथा अन्य खाने-पीने की दुकानें शामिल हैं, के गाइडों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु नियमित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

6. **अन्य व्ययः** इस व्यवस्था को भारत सरकार की ओर से पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित भारत पर्यटन विकास निगम के विनिवेशित होटलों से संबंधित समापन-पश्च समायोजनों के भुगतान की व्यवस्था के साथ होटल निर्माण, विपणन अनुसंधान तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों को योगदान के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज विभेदक सब्सिडी के भुगतान के लिए किया गया है।

7. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विविध पर्यटन उत्पाद की उपलब्धता से इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं। इस विभाग के आवंटन का 10% हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन विकास और संवर्धन के लिए रखा गया है।

8. **विविध सामान्य सेवाएंः** यह व्यवस्था समुद्रपारीय पर्यटन कार्यालयों को निधियां वापिस करते समय हुई मुद्रा हानि के लिए की गई है।